राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :- प.6(15)नविवि/3/1987पार्ट   जयपुर, दिनांक 03.07.2020

आदेश

विषयः- जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना में पट्टे दिए जाने की तिथियों में परिवर्तन करवाने बाबत्।

संदर्भः- जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक प.80/जविप्रा/अ.आ./पीआरएन/2020/डी-152 दिनांक 23.06.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से जनित परिस्थितियों के कारण पृथ्वीराज नगर योजना में नियमन कैम्प हेतु जारी इस विभाग के आदेश दिनांक 29.01.2020 में अंकित तिथियों में परिवर्तन हेतु निवेदन किया है।

अतः विशेष परिस्थितियों के कारण तिथियों में परिवर्तन निम्नानुसार किया जाता हैः-

- सभी योजनाऐं जिनमें नियमन कैम्प जविप्रा द्वारा लगाये जा चुके है के शेष पट्टे जविप्रा द्वारा अभियान चलाकर 30.06.2020 के स्थान पर 30.09.2020 तक जारी कर दिये जावें।
- जिन योजनाओं के नियमन कैम्प लगने शेष हैं उनके कैम्प लगाये जाकर 30.09.2020 के स्थान पर 31.12.2020 तक पट्टे जारी कर दिए जावें तथा निर्धारित दिनांक तक पट्टे प्राप्त नहीं करने वाले भूखण्डधारियों के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय